राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01047/2024

किरोड़ी लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव–प्रथम, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जे.एल.एन. मार्ग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. सुभाष पहाडिया, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका महाविद्यालय, लालसोट, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त सिंघल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केबियटर
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्राचार्य के पद पर राजेश पायलेट राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, लालसोट, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण खण्ड मालपुरा जिला टोंक में किया गया है। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 06.10.2023 द्वारा किया गया तथा आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 4 महीने की अल्पावधि में ही कर दिया गया है। अपीलार्थ के वर्तमान पदस्थापन स्थान निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जुल्मी, जिला कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी की माता वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित है तथा अपीलार्थी के एक 10 साल को छोटा बच्चा है जो कि लालसोट में ही अध्ययनरत है। अपीलार्थी के परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य

कोई सदस्य नहीं है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में प्राचार्य के पद पर राजेश पायलेट राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, लालसोट, दौसा में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4 प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा उसी महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापन हेतु आदेश जारी किया गया था, जो स्थानान्तरण नहीं है। अपीलार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 21.04.2023 के द्वारा मूल्यांकन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 19.04.2023 की अनुशंषा पर सह आचार्य से पदोन्नत कर आचार्य बनाया गया तथा लालसोट में उसी महाविद्यालय में कार्यरत रखा गया। विभागीय आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा 207 कार्मिकों (आचार्यों) को राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14.10.2022 के नियम 26 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की दिनांक 30.09.2023 को आयोजित बैठक में कि गई अनुशंषा पर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक पद पर पदस्थापन किया गया, इस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 82 पर अंकित है इस आदेश के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय महाविद्यालय लालसोट में ही पदस्थापित रखा गया, अपीलार्थी इस आदेश की पालना में दिनांक 07.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किय। अपीलार्थी निरन्तर 22 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत रहा है। अतः अपीलार्थी का कथन पूर्णतः निराधार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास मित्तल प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से अपना अभिमत प्रकट किया है कि पारिवारिक समस्याओं के आधार पर स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

5 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं राजकीय विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्राचार्य के पद पर राजेश पायलेट राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, लालसोट, दौसा में कार्यरत है एवं अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–3) से कार्यरत है। अपीलार्थी पिछले 22 वर्षों से लालसोट में ही सेवारत हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नियमानुसार राज्यहित में किया गया है। इसमें किसी तरह की दुर्भावना या नियमों का उल्लघंन परीलक्षित नहीं हो रहा है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी को समंजित किए जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं

7 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य